तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जितेन्द्र कुमार बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ.अपील सं0 242/2023 ( )	

05.02.24

अपीलार्थी जितेन्द्र कुमार अबोटी निवासी ए–13, सुदर्शन नगर सांई मंदिर के पीछे, नागणेची माता मंदिर रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.08..2023, में उसके द्वारा (1) भरत सांखला बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से निर्णित पी.आई.एल. सिविल रिट याचिका 6772/2006 के संबंध में जिला कलक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा 2014 को कलक्टर सा. को प्रेषित रिपोर्ट, मौका फर्द, नक्शा जेईएन जेडीए/नगर निगम राजस्व निरीक्षक तहसील जोधपुर द्वारा तैयार किया गया –जिला कलक्टर द्वारा उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उपायुक्त जे.डी.ए./नगर निगम की बनाई संयुक्त समिति के आदेश कमांक 402 दिनांक 10.03.2014 व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 2108 दिनांक 06.11.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित पत्रावली की संधन तलाशी अभियान बाबत् इस कार्यालय के आदेश कमांक 2028 दिनांक 09.10.2023 द्वारा कमेटी का गठन कर पत्रावली की तलाश की गई, लेकिन गठित कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार उक्त पत्रावली पुरानी होने के कारण कार्यालय रिकॉर्ड में बाद तलाशी के भी उपलब्ध नहीं हो पाई है।

लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, व सूचना की स्थिति से अवगत करवाया गया है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना उपलब्ध नहीं होने बाबत् प्रार्थी को अवगत करवाया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:16:35 IST
Reason: SelfAttested